Administrative Reforms

*129. SHRI B.J. PANDA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Prime Minister has initiated a major step on administrative reforms and suggested a National Entrance Examination for the All-India and the Central Services;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the action plan of Government to implement these reforms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI SURESH PACHOURI): (a) to (c): Yes, Sir. The Government is planning to set up an Administrative Reforms Commission to prepare a detailed roadmap for administrative reforms. This Commission could also assess the method and process of recruitment to Civil Services and suggest changes, if required.

SHRI B.J. PANDA: Sir, the media has reported extensively on this proposed plan to set up an Administrative commission and has mentioned many specifics, like conducting a National Entrance Examination and a National Academy. Will the hon. Minister clarify whether this has already been given in the mandate for the proposed Commission? If so, whether there are any specifics about how such examinations would be conducted and how this academy would function?

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, the question is mainly about the entrance examination for the All India Services. As the hon. Member wanted to know about the proposal in this regard, I would like to mention over here that a web-site has been created in the Ministry of DoPT. It was also suggested that the proposed Terms of Reference for the Administrative Reforms Commission could include the aspect of assessing the method and process of recruitment to the Civil Services and suggest changes, if any, required. As far as public response to this website, which was in relation to the entrance examination, is concerned, Sir, 9 responses through the web-site, one letter and six newspaper articles have been received. And, it was suggested that suggestions made for the entrance examination should also be incoporated while discussing the Administrative Reforms Commission.

SHRI B.J. PANDA: Sir, my Second supplementary is with regard to the composition of the proposed Administrative Reforms Commission. Will the hon. Minister agree that —it is desirable—the members of this Reforms Commission should be not only civil servants and retired civil servants but also eminent personalities from other fields? Will he agree that the Government should give this aspect due consideration?

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, the purpose of the Adminisrative Reforms Commission is to make Civil Services responsible, citizen-friendly, transparent, accountable and efficient. A Task Force headed by the Secretary, pesonnel, was constituted in September, 2004 to frame terms of reference of the proposed Commission. It submitted its Report in the last week of October, 2004. A Cabinet note is under submission. Therefore, it will not be proper for me to mention it in detail, in this regard.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर अभी सप्लीमेंटरी नहीं हुए।

श्री सभापति: नहीं, दोनों सम्लीमेंटरी हो गए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, अभी तो उन्होंने किए हैं। एकाध सप्लीमेंटरी तो आप और देंगे या नहीं देंगे?

श्री सभापति: यह जरूरी है क्या?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, देना तो चाहिए। सवाल इंपोर्टेंट है।

श्री सभापति: हां, देना चाहिए, लेकिन जरूरी है क्या? क्वेश्चन का जवाब जिस तरह से आया है, उसमें क्या सप्लीमेंटरी होगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, जब हम पूछेंगे तब आप जानेंगे।

श्री सभापति: आप पूछना चाहती हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: हां, मैंने कहा था।

श्री सभापति: अब आया है आपका नाम।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मैंने हाथ उठाया था, उन्होंने नहीं दिया होगा। मैं खुद तो नहीं दे सकती।

श्री शाहिद सिद्दिकी: सर, सबसे पहले मैंने हाथ उठाया था।

श्रीमती सुषमा स्वराज: हाथ उठाया!

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, आप अनुमति दें तो मैं पूछूं?

श्री सभापति: पूछिए, पूछिए

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद सभापति जी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के एग्ज़ामिनेशन के लिए अभी जो एलिजिबिलिटी है, उसमें आई॰पी॰एस॰ के लिए 20 वर्ष और आई॰ए॰एस॰ के लिए 21 वर्ष की आयु तय है। लेकिन प्रधान मंत्री जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे इस आयु सीमा को घटा कर प्लस टू के बाद शुरू करना चाहते हैं। प्लस टू का मतलब है–यानी 17 साल का बच्चा प्लस टू कर लेता है। तो क्या यह उनका सोचा-समझा हुआ विचार है? इसके पीछे क्या कारण उन्होंने जाना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ की सीमा घटा कर वे 18 वर्ष पर लाकर खड़ी कर रहे हैं? 18 साल के बच्चे एक साल की ट्रेनिंग के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में आएंगे तो क्या यह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए सही होगा? क्या उन्हें तब तक उतना अनुभव प्राप्त हो चुका होगा कि वे आई॰ए॰एस॰ की सेवा संभाल सकें?

श्री सुरेश पचौरी: आदरणीय सभापति महोदय, ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन से संबंधित जो टॉस्क फोर्स बनी, उसके समक्ष कई प्रकार के प्रस्ताव आए हैं। जैसा कि मैंने आपके ज़रिए माननीय सदस्यों को बताने की कोशिश की है कि इस संबंध में कई सजेशन्स आए हैं। क्योंकि यह ऐंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से ही संबंधित सवाल है, इसलिए पहला सजेशन यह था कि जो अभी ऐग्ज़िस्टिंग सिस्टम है ग्रेजुएशन का, वही यथावत रखा जाए या इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए और ऐंट्रेंस एग्जामिनेशन 12वीं क्लास के बाद एक सिस्टम इसमें लागू किया जाए। इसके लिए वेबसाईट पर भी हमने कई प्रकार के सुझाव आमंत्रित किए थे, जो हमें मिले हैं। इसकी मैरिट्स भी हैं और डीमैरिट्स भी हैं। मेरिट्स के बारे में भी टास्क फोर्स ने डिसकस किया है, उसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उसमें यह आया था कि जैसे एन.डी.ए. का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्ज़ामिनेशन होता है—पहले 12वीं क्लास के बाद, ऐंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से उसमें सलेक्शन हो जाता है और फिर एक स्पेशलाइज़ेशन होता है, क्या उसी प्रकार से इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ या ऑल इंडिया सर्विसेज़ के लिए भी यह व्यवस्था प्रारंभ की जाए। दूसरा, इसकी डीमैरिट्स में यह बात आई थी कि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं, उनका प्रोजैक्शन 12वीं क्लास के बाद इतना अच्छा नहीं हो पाता कि वे ऑल इंडिया के कंपिटीटिव एग्ज़ामिनेशन में कंपीट कर पाएं। इन दोनों बिंदुओं पर टास्क फोर्स ने विचार किया है। जैसा मैंने आपके ज़रिए सदन को बताया कि इस प्रकार के जो सजेशन्स आए हैं और जो मंत्रणा हुई है, उसे केबिनेट के सामने हमने नोट के रूप में प्रस्तुत किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जिसका गठन होने जा रहा है, उसमें इस प्रकार की बातों का हम लोग उल्लेख करने जा रहे हैं। और जो ट्रेनिंग शैडयूल है, उसके बारे में भी इसमें प्रपोजल आई थी कि क्या ट्रेनिंग शैडयूल पांच साल का

रखा जाए या उसमें एक साल की व्यवस्था की जाए? यह सब उसमें डिसकस होगा। जैसे ही कैबिनेट किसी नतीजे पर पहुंचेगी, हम सदन को उसकी जानकारी दे देंगे। कई प्रकार की कमेटियां बनीं थीं। एक 'होता' कमेटी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमीशन के सिलसिले में बनी थी, 'सुरेन्द्रनाथ' कमेटी भी बनी थी और 'युगान्धर' कमेटी भी बनी थी। उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन्स दी थीं। 'युगान्धर' कमेटी ने इस सिलसिले में 13 रिकमेंडेशन्स दी थीं, 'सुरेन्द्रनाथ' कमेटी ने 35 रिकमेंडेशन्स दी और 'होता' कमेटी ने 64 रिकमेंडेशन्स दी थीं। उनमें भी इसी प्रकार का प्रोविजन रखा गया था। उन सबको हम एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद जब हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो सदन को अवगत कराएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह अभी निर्णय नहीं है क्योंकि बयान ऐसा था जैसे निर्णय ले लिया गया हो। यह निर्णय नहीं है।

श्री सभापति: निर्णय नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: देखिए सर, कितना इम्पोर्टेन्ट सवाल था।

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM POLAND

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make:—

We have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary delegation from Poland, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of his Excellency Mr. Jozef Oleksy, Speaker of Lower House of Polish Parliament.

I am pleased to mention that this important visit coincides with the celebrations of Golden Jubilee of the establishment of diplomatic relations between India and Poland.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the delegation and wish our distinguished guests and enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Parliamentary system, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Poland. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Poland.